



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार- 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं०-01334-244143

विज्ञापन संख्या :: A-3/E-2/CJ (JD)/2018-19

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा-2019

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	01 जून, 2019
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	21 जून, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क - Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	21 जून, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 21 जून, 2019 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(3) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(6) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञापित प्रकाशित की जायेगी।

(8) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(9) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-1, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा-2019 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 21 जून, 2019** तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में विज्ञापन के **“परिशिष्ट-1”** में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन माह अगस्त, 2019 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। रिट याचिका संख्या-163 (एस0/बी0) ऑफ 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के “कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान” के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. रिक्तियों का विवरण : कुल पद-15

क्र0सं0	श्रेणी	पद	क्षैतिज आरक्षण
			उत्तराखण्ड महिला (30%)
1	अनारक्षित	06	02
2	अनु0जाति	01	—
3	अनु0जन जाति	—	—
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	02
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	—
कुल		15	04

नोट- रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

3. **पद का स्वरूप :-** राजपत्रित।

4. **वेतनमान एवं पेंशन :-** रु0 27,700-770-33,090-920-40,450-1080-44,770 अंशदायी पेंशन योजना।

5. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को -

(क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक होना चाहिए।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिये।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिये।

5. **Essential Educational Qualifications :-** A candidate for direct recruitment to the service be -

(a) A Bachelor of law from a University established by law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governor.

(b) Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri script.

(c) Basic knowledge of Computer Operation.

6. **आयु :-** आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जनवरी, 2019 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी, 1984 या इससे पूर्व तथा 1 जनवरी, 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए।

7. **अधिकतम आयु सीमा में छूट:-** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

8. आरक्षण :- (अ) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) " शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।"

(स) मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 12.10.2011 के आधार पर निःशक्तजन के लिए उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) हेतु पद चिन्हित नहीं हैं। इसलिये निःशक्तजन के लिये कोई पद आरक्षित नहीं रखा गया है।

9. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे यथासमय आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो) :

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी उप-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित हैं तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. चरित्र :- सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेंगे।

टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से संबद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिज्ञ परिषद् (बार कॉउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

14. शारीरिक योग्यता :- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. आवेदन कैसे करें :- इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं-

आनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	21 जून, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क- Net Banking/Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	21 जून, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

16. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात www.ukpsc.net.in पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now** लिंक पर क्लिक करें। **Apply Now** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered** **MobileNo** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर सही जानकारी भरकर **Submit** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature Image** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature Image** को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।
- (6) अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id** एवं **password** के माध्यम से **login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, Personal Information एवं **Update Educational Information** पर क्लिक कर, Educational Qualification को अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं० को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 23.60 रुपये है।)

17. **शुल्क** :- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु० 150	रु० 23.60	रु० 173.60
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150	रु० 23.60	रु० 173.60
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150	रु० 23.60	रु० 173.60
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु० 60	रु० 23.60	रु० 83.60

नोट :- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा- सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

18. **मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएं :-**

(1) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा एवं "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(3) THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) RULES-2013 के CHAPTER-IV के बिन्दु संख्या- 22(9) में निम्नवत् उल्लेख है :-

"The Candidates who fail to produce required certificate/certificates on the date of interview (or as directed by the Commission) shall not be allowed to appear at the interview and their candidature shall stand rejected"

उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाईन आवेदन में दावित किये गये समस्त प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(4) साक्षात्कार से पूर्व किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा—

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

(ii) प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "क्रास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर-पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर-पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर-पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

(1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

- (6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
- (10) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या 'कखग' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (11) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(6) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित न किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किये जायेंगे।

(7) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(8) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(9) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र को भरना होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण कराना होगा तथा स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(10) **उत्तर कुंजी आपत्ति :-** वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन ई-मेल से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से आपत्ति के सापेक्ष प्रतिप्रश्न ₹50.00 (₹50 पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(12) **न्यूनतम अर्हक अंक :-** (i) "उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली-2011 के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह कि लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।"

ऐसे अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन हेतु नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक यथा- सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी अंक 45 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु अर्हकारी अंक 35 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है।

(13) मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उप श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

19. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली-2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(5) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(6) मूल ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र, परीक्षा में उपस्थिति पत्रक आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(8) अभ्यर्थियों की हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर उपलब्ध न कराये जाने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(10) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(11) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा।

(13) परम्परागत प्रकार की परीक्षा में नान-प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है। यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस/संचार की क्षमता युक्त उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(15) परीक्षा भवन में आचरण :- परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन-2016** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(18) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(19) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुट्टरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए

उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(20) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(21) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्डी/हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र।

(ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

शासनादेश सं0-23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(22) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(23) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(24) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(25) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।**

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2019 हेतु अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में कराया जायेगा :-

S.No.	City	City Code
01	Dehradun (Dehradun)	01
02	Haldwani (Nainital)	02
03	Haridwar (Haridwar)	03

प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के संबंध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

नोट:- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

परीक्षा योजना:—प्रतियोगिता परीक्षा में कमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (परम्परागत प्रकार की) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

टिप्पणी:— प्रारम्भिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 शीट के रूप में होंगे। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे है। प्रश्न-पत्र में भाग- एक सामान्य ज्ञान हेतु 50 अंक तथा भाग- दो विधि हेतु 150 अंक नियत है। पाठ्यक्रम निम्नवत् है:—

भाग-1 :- सामान्य ज्ञान :- भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग-2 :- इसमें निम्नलिखित अधिनियम एवं विधियां सम्मिलित होगी :- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सिविल (दीवानी) प्रक्रिया संहिता।

(2) मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :-

1. वर्तमान परिदृश्य (Present Day)	150	अंक
2. भाषा (Language)	100	अंक
3. विधि प्रश्न पत्र- I (मुख्य विधि) (Substantive Law)	200	अंक
4. विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) (Evidence and Procedure)	200	अंक
5. विधि प्रश्न पत्र- III (राजस्व और दण्ड) (Revenue and Criminal)	200	अंक
6. For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100	
7. व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)	100	

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

1. **वर्तमान परिदृश्य :-** यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. **भाषा :-** अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें।

..... 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी।

..... 30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन (English Precise Writing) की भी परीक्षा होगी।

..... 40 अंक

3. **विधि प्रश्न पत्र-I (मुख्य विधि) :-** संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा।
4. **विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :-** इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।
5. **विधि प्रश्न पत्र- III (राजस्व और दाण्डिक) :-** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) तथा भारतीय दण्ड संहिता।
टिप्पणी :- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

(3) For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination:

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office

Maximum Marks – 100

Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40

Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. -

- (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

(4) व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)

100 अंक

व्यक्तित्व परीक्षा :- न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :-

(1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

Appendix-2

Examination Plan and Syllabus for the Examination

(1) **Preliminary written Entrance (Screening) Examination:**

The preliminary written entrance examination paper will be divided into two parts.

Part-I will be of 50 marks and Part-II will be of 150 marks. There will be objective type test on the following subjects:-

Part-I :- General Knowledge. It will include day to day happenings around India and the World, particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

Part-II :-It will cover the following Acts and Laws – Transfer of Properties Act, Principle of Hindu Laws and Principle of Muslim Laws, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Civil Procedure Code.

(2) **Main written Examination and Viva-voice Examination (Interview):**

The examination will include the following subjects; each subject will carry the number of mark shown against it:

Subject	Mark
1- The Present Day	150
2- Language	100
3- Law: Paper I - Substantive Law	200
4- Law: Paper II - Evidence & Procedure	200
5- Law: Paper III - Revenue & Criminal	200
6- For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100
7- Viva-Voce	100

(1) **The Present Day** - This paper is designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generally at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English. Questions, the answers to which should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly- Indian constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confined to them. Credit will be given both for substance and expression; conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammar, misuse of words etc.

(2) **Language** - A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken
in the courts, using the Devnagri Script ----- Marks 30
Likewise a passage of Hindi will be required
to be translated in ordinary English language. ----- Marks 30
There will be English Précis writing also. ----- Marks 40

(3) **Law: Paper I-Substantive Law** - The questions set will be restricted to the field covered by-
The law of contracts; the law of partnership; the law concerning easements and torts; the law relating to transfer of property; including the principles of equity specially applicable thereto; the principles

of equity, with special reference to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.

- (4) **Law: Paper II - Evidence and Procedure** - The field will be that covered by the Law of Evidence, The Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters; such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.
- (5) **Law: Paper III- Revenue & Criminal** - U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand) and Indian Penal Code.
- (3) **For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination:**

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office

Maximum Marks – 100

Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40

Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

- (4) **Viva-Voce-**

100 Marks

The suitability of the candidate for employment in the Judicial Service will be tested with reference to his record at School, College and University and his personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature.

- NOTE:** - (i) The marks obtained in viva-voce will be added to the marks obtained in the written papers and the candidates place will depend on the aggregate of both.
- (ii) The Commission reserve the right to refuse to call for viva-voce and candidate who has not obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.